प्र.सं. 42/2017 गोपाल गोयल/परि.निदे.एनएचएआई दौसा व अन्य नि.दि. 30.10.2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कायवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
30.10.17	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तलबी हेतु वकील प्रार्थी ने तलबी नोटिस भरकर पेश नही किये है। इस सम्बन्ध में वकील प्रार्थी को निर्देशित किया गया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2016 में मात्र अपील नम्बर के स्थान पर विविध प्रार्थना पत्र नम्बर अंकित कराना चाहता है। जो एक लिपिकीय त्रुटि है। जिसके लिए अप्रार्थीगण को तलब किये जाने की आवश्यकता नही है। न्यायालय सुमोटो (स्वत: संज्ञान लेकर) शुद्ध करने के लिए सक्षम है। हम वकील प्रार्थी के कथन से सहमत है। अत: न्यायालय के प्रकरण संख्या 43/2016 उनवानी गोपाल बनाम परि.निदे. एनएचएआई दौसा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2016 में अपील नम्बर के स्थान पर विविध प्रार्थना पत्र नम्बर अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय में "अपील नम्बर" के स्थान पर लाल स्याही से "विविध प्रार्थना पत्र नम्बर" अंकित किया जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्त्र हो। प्रकरण नम्बर से कम हो। (शुचि त्यागी) भू-अवाप्ति अधिकारी (जिला कलक्टर) धौलपुर	